भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 398
04 फरवरी, 2025 को उत्तरार्थ

विषयः- एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड योजना

398. श्रीमती गनीबेन नागाजी ठाकोर:

क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड योजना का प्रयोजन और उद्देश्य क्या है;
(ख) गुजरात में इस योजना के अंतर्गत आवंटित फंड का जिलावार ब्यौरा क्या है; और
(ग) पात्र उधारकर्ता के चयन के लिए क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री: (श्री राम नाथ ठाकुर)

(क) से (ग) : किसानों की आय बढ़ाने के लिए न केवल कृषि उपज का उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाना आवश्यक है बल्कि आधुनिक फसलोपरांत प्रबंधन इन्फ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के माध्यम से फसलोपरांत नुकसान को कम करना और किसानों के लिए बेहतर मूल्य प्राप्ति सुनिश्चित करना भी आवश्यक है। देश में फसलोपरांत प्रबंधन इन्फ्रास्ट्रक्चर में मौजूदा कमियों को दूर करने के उद्देश्य से, एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड (ए.आई.एफ.) की प्रमुख योजना वर्ष 2020-21 में आरंभ की गई थी ताकि फार्म गेट स्टोरेज और लॉजिस्टिक्स इन्फ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के माध्यम से देश में इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जा सके ताकि किसान अपनी कृषि उपज को उचित रूप से संग्रहीत और संरक्षित कर सकें तथा कम फसलोपरांत नुकसान और कम बिचौलियों की उपस्थिति में उन्हें बेहतर मूल्य पर बाजार में बेच सकें। गोदामों, कोल्ड स्टोर, सॉर्टिंग और ग्रेडिंग इकाइयों, राइपनिंग चैंबर्स आदि जैसे बेहतर फसलोपरांत प्रबंधन इन्फ्रास्ट्रक्चर से किसान सीधे विस्तृत तौर पर उपभोक्ताओं को बेच सकेंगे और इस प्रकार, किसानों के लिए मूल्य प्राप्ति में वृद्धि होगी। इससे किसानों की कुल आय में सुधार होगा। इसके अतिरिक्त, ए.आई.एफ. योजना का उद्देश्य कृषि क्षेत्र के समग्र विकास में योगदान देकर एग्रीकल्चर ईकोसिस्टम में सभी स्टेकहोल्डर्स को लाभान्वित करना है। एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड (ए.आई.एफ.) के तहत, ऋण संस्थानों के माध्यम से 1 लाख करोड़ रुपये के ऋण के लिए प्रावधान किया गया है जिसमें ऋणों पर 9% की ब्याज दर की सीमा है। यह योजना वर्ष 2020-21 से 2032-33 तक लागू है।

इस वित्तपोषण सुविधा के तहत सभी ऋणों पर 2 करोड़ रुपये की ऋण सीमा तक 3% प्रति वर्ष की ब्याज छूट है। यह ब्याज छूट अधिकतम 7 वर्षों के लिए उपलब्ध है। 2 करोड़ रुपये से अधिक के ऋण के मामले में, ब्याज छूट 2 करोड़ रुपये तक सीमित है। इस वित्तपोषण सुविधा से पात्र उधारकर्ताओं हेतु क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज (सी.जी.टी.एम.एस.ई.) के तहत 2 करोड़ रुपये तक के ऋण के लिए क्रेडिट गारंटी कवरेज भी उपलब्ध है। इस कवरेज का शुल्क सरकार द्वारा वहन किया जाता है।

ए.आई.एफ. के तहत पात्र परियोजनाओं में फसलोपरांत प्रबंधन परियोजनाएं और गोदाम, साइलो, पैक हाउस, परख इकाइयां, सॉर्टिंग और ग्रेडिंग इकाइयां, कोल्ड स्टोरेज, कोल्ड चेन, लॉजिस्टिक्स

सुविधाएं, प्राथमिक प्रसंस्करण केंद्र, एकीकृत प्राथमिक और द्वितीयक प्रसंस्करण केंद्र, राइपनिंग चैंबर्स जैसी व्यवहार्य कृषि परिसंपत्तियां, ई-मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स सहित आपूर्ति श्रृंखला सेवाएं, जैविक इनपुट उत्पादन, जैव उत्तेजक उत्पादन इकाइयां, स्मार्ट और सटीक कृषि के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर, फार्म/हार्वेस्ट ऑटोमेशन, कस्टम हायरिंग सेंटर, ड्रोन की खरीद, पीएम-कुसुम घटक ए, बी और सी के तहत स्टैंडअलोन सोलर पंप और ग्रिड से जुड़े कृषि पंपों की स्थापना, खेत पर विशेष सेंसर लगाना, कृषि में ब्लॉक चेन और ए.आई., रिमोट सेंसिंग और ऑटोमैटिक वेदर स्टेशन्स जैसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आई.ओ.टी.), जी.आई.एस. एप्लिकेशन्स के माध्यम से कृषि सलाहकार सेवाएं, एकीकृत स्पाइरुलिना प्रोडक्शन और प्रसंस्करण इकाई, रेशम उत्पादन प्रसंस्करण इकाई, शहद प्रसंस्करण इकाई, पादप संगरोध इकाई, हाइड्रोपोनिक खेती, मशरूम खेती, ऊर्ध्वाधर खेती, एरोपोनिक खेती, पॉली हाउस/ग्रीनहाउस आदि शामिल हैं।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड (ए.आई.एफ.) के विस्तार को मंजूरी दे दी है। प्रमुख उपायों में, पात्र गतिविधियों में प्राथमिक प्रसंस्करण के साथ एकीकृत द्वितीयक प्रसंस्करण परियोजनाओं सहित सभी पात्र लाभार्थियों के लिए व्यवहार्य सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों की अनुमति देना और ए.आई.एफ. को पीएम-कुसुम घटक-ए के साथ अभिसरण करना शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, एफ.पी.ओ. को क्रेडिट गारंटी सहायता बढ़ाने की योजना में एन.ए.बी. संरक्षण भी शामिल है।

ए.आई.एफ. के तहत 1 लाख करोड़ रुपये की लक्ष्यित कुल ऋण राशि जिसे बैंकों द्वारा वर्ष 2025-26 तक मंजूर किया जाना है, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच अनंतिम रूप से आवंटित की गई है। यह आवंटन, प्रत्येक राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के कुल कृषि और संबद्ध क्षेत्र के उत्पादन के अनुपात पर आधारित है जो क्षेत्रीय विकास का समर्थन करने के लिए संतुलित और आवश्यकता-आधारित क्रेडिट फ्लो सुनिश्चित करता है। गुजरात के लिए आवंटन का हिस्सा 7282 करोड़ रुपये है।

26.02.2025 तक , ए.आई.एफ. के तहत 92393 परियोजनाओं के लिए 56334 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं, इस कुल स्वीकृत राशि में से 41996 करोड़ रुपये योजना लाभ के अंतर्गत आते हैं। इन स्वीकृत परियोजनाओं ने कृषि क्षेत्र में 91856 करोड़ रुपये का निवेश जुटाया है। गुजरात राज्य में ए.आई.एफ. के अंतर्गत 3400 परियोजनाओं के लिए 3819 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। इन परियोजनाओं की कुल परियोजना लागत 5904 करोड़ रुपये है।गुजरात में इस योजना के तहत स्वीकृत फंड का जिला-वार विवरण **अनुबंध** पर दिया गया है।

ए.आई.एफ. योजना के तहत उधारकर्ता के रूप में पात्रता प्राप्त करने के लिए आवेदक को निर्धारित पात्र संस्थाओं से संबंधित होना चाहिए जैसे कि किसान, कृषि-उद्यमी, स्टार्ट-अप, प्राथमिक कृषि ऋण समितियां (पी.ए.सी.एस.), विपणन सहकारी समितियां, किसान उत्पादक संगठन (एफ.पी.ओ.), स्वयं सहायता समूह (एस.एच.जी.), जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप्स (जे.एल.जी.), बहुउद्देशीय सहकारी समितियां, केंद्रीय/राज्य एजेंसी या स्थानीय निकाय प्रायोजित सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजनाएं, राज्य एजेंसियां, कृषि उपज बाजार समितियां (ए.पी.एम.सी.), राष्ट्रीय और राज्य सहकारी संघ, एफ.पी.ओ. के संघ और स्वयं सहायता समूहों (एस.एच.जी.) के संघ। हालांकि, ऋण स्वीकृत करने से पहले परियोजनाओं की व्यवहार्यता की पुष्टि करने के लिए ऋण देने वाली संस्थाओं द्वारा प्रस्ताव/डी.पी.आर. की उचित जानकारी के साथ जांच की जा रही है। इसके अतिरिक्त, आवेदक को प्रमोटर के अंशदान के रूप में परियोजना लागत का न्यूनतम 10% योगदान करना आवश्यक है।

अनुबंध

गुजरात में ए.आई.एफ. के तहत जिले-वार स्वीकृत परियोजनाएं

(राशि करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	जिला	स्वीकृत संख्या	स्वीकृत राशि
1	महसाणा	177	564
2	राजकोट	382	491
3	जूनागढ़	454	402
4	साबर कंथा	203	342
5	बनास कंथा	165	298
6	अरवल्ली	104	224
7	कच्छ	142	219
8	अहमदाबाद	232	181
9	भावनगर	95	131
10	गांधीनगर	67	125
11	आनंद	331	97
12	मोरबी	67	80
13	खेड़ा	186	80
14	सूरत	118	79
15	पाटन	82	63
16	जामनगर	90	62
17	वडोदरा	72	61
18	सुरेंद्रनगर	57	53
19	तापी	11	49
20	अमरेली	51	44
21	वलसाड	14	40
22	गिर सोमनाथ	70	35
23	भरूच	51	22
24	बोटाद	36	20
25	पोरबंदर	12	12
26	नवसारी	17	11
27	दाहोद	15	11
28	पंचमहल	43	11
29	देवभूमि द्वारका	16	5
30	महिसागर	16	3
31	नर्मदा	13	2
32	छोटा उदयपुर	8	1
33	डांग	3	1
	कुल योग	**3400**	**3819**

* यह जानकारी ए.आई.एफ. पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों पर आधारित है।

******